



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13122024-259393
CG-MH-E-13122024-259393

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 989]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2024/ अग्रहायण 21, 1946

No. 989]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2024/ AGRAHAYANA 21, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 12 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/218.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम-VI और उप-विनियम-XX 31 दिसम्बर, 2024 से लागू होंगे।

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में -

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ट) हट जाएगा;

ii. खंड (यग) में, पहले परंतुक में,

क) खंड (ख) में शब्दों "की जाने वाली निम्नलिखित कंपनी कार्रवाइयाँ" से पहले दिए हुए शब्द तथा चिह्न "सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा" हट जाएँगे;

ख) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा या संबंधित देश के किसी दूसरे केन्द्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार बैंकों द्वारा चालू खातों और बचत खातों में जमाराशियाँ (डिपॉजिट) स्वीकार करना:

स्पष्टीकरण: उपरोक्त खंड (ग) एवं (घ) के प्रयोजनार्थ, जमाराशियाँ स्वीकार करने के अंतर्गत उन पर अदा किया जाने वाला ब्याज भी शामिल है।

(ङ) किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) से उसके निदेशकों या उसके कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ऐसी छोटी-मोटी खरीददारियाँ, जिसके लिए उनके बीच कोई कारोबारी संबंध भी न बना हो और साथ ही ऐसी खरीददारी जिन शर्तों पर की गई हों वे सभी कर्मचारियों और निदेशकों पर समान रूप से लागू हों / जो सभी कर्मचारियों और निदेशकों के लिए एक जैसी ही हों;"

iii. मौजूदा खंड (यच) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(यच) "प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों" का अर्थ है - अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996) और उनके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम (रेग्यूलेशन) तथा बोर्ड द्वारा उनके तहत जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश, दिशानिर्देश या परिपत्र (सर्कुलर) और कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनियों से संबंधित पहले के कोई कानूनी प्रावधान तथा उनके तहत बनाए गए कोई कानूनी प्रावधान (जो बोर्ड के दायरे में आते हों);"

iv. खंड (यठ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (यठक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,- "(यठक) "एसआर इक्विटी शेयरों" का अर्थ है - किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के ऐसे इक्विटी शेयर जिन पर उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जारी किए गए दूसरे सभी इक्विटी शेयरों की तुलना में ज्यादा (उच्चतर) मताधिकार मिलते हों;"

II. विनियम 5 में,

i. शब्दों तथा चिह्नों "सूचीबद्ध एंटीटी के साथ व्यौहार करने वाले मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, निदेशक, संप्रवर्तक या कोई अन्य व्यक्ति इन विनियमों के अधीन उसे (उन्हें) सौंपी गई जिम्मेदारियों या बाध्यताओं, यदि कोई हों, का अनुपालन करे (करें)।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजरियल पर्सोनल), निदेशक, संप्रवर्तक (प्रमोटर) या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी से डीलिंग करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति वे जिम्मेदारियाँ या बाध्यताएँ (यदि कोई हों) पूरी करे, जो इन विनियमों के तहत उनके लिए निर्धारित की गई हों:"

ii. मौजूदा विनियम के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति, निदेशक, संप्रवर्तक (प्रमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) या सूचीबद्ध एंटीटी से डीलिंग करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति सूचीबद्ध एंटीटी को वह समस्त जानकारी देगा, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के लिए लागू कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जरूरी हो।"

III. विनियम 6 में,

i. उप-विनियम (1) में, शब्दों "नियुक्त करेगी" के बाद दिए हुए चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न "ः" आ जाएगा;

ii. मौजूदा उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) एक ऐसा अधिकारी होगा, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के यहाँ पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर रहा हो, और जिसका दर्जा निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) के दर्जे से निचले वाले दर्जे से नीचे का न हो और जिसे प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सोनल) का दर्जा देना होगा।"

iii. उप-विनियम (1क) और उसके परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1ख) यदि किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के संबंध में दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को मंजूरी प्रदान कर दी गई हो और उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के यहाँ अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) का कोई पद खाली हो, तो ऐसे में वह पद इस प्रकार मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर भरना होगा:

परंतु यह कि जब तक वह पद भरा न जाए, तब तक के लिए उस सूचीबद्ध एंटीटी के यहाँ रोजमर्रा का कामकाज कम से कम एक "प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति" पूर्णकालिक आधार पर देखे।"

IV. विनियम 7 में, उप-विनियम (3) हट जाएगा;

V. विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"(1क) बोर्ड अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन) के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और प्रस्तुत की जाने वाली कोई दूसरी जानकारी एक साथ प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर सकेगा, और जिन्हें उस फॉर्मेट में तथा उन समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत करना होगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।"

VI. विनियम 13 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी हर तिमाही में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास एक विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें निवेशकों की शिकायतों के निवारण का ब्यौरा दिया जाएगा, और जो उस तरह से और उन समय-सीमाओं के भीतर दिया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।"

VII. विनियम 15 में,

i. उप-विनियम (2) में,

क) अंक तथा चिह्न "26," के बाद और अंक "27" से पहले, अंक, अक्षर तथा चिह्न "26क," जोड़े जाएँगे;

ख) खंड (क) में, दूसरे परंतुक में,

I) शब्दों तथा चिह्नों "उपरोक्त विनियम (रेग्यूलेशन)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) एवं खंड (न) तथा अनुसूची-V के पैरा (ग), (घ) एवं (ङ) में दिए हुए कंपनी संचालन (कंपनी शासन / कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी प्रावधान" आ जाएँगे;

II) शब्दों "इक्विटी शेयर पूँजी" के बाद और शब्दों तथा चिह्नों "शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)" से पहले दिए हुए शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" आ जाएगा।

ii. उप-विनियम (2क) में,

क) मौजूदा परंतुक में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न "ः" आ जाएगा;

ख) मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि ऐसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर विनियम 17 का पालन सुनिश्चित करेगी।"

iii. उप-विनियम (2ख) में,

क) मौजूदा परंतुक में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

ख) मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि ऐसी सूचीबद्ध एंटीटी दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर विनियम 18, 19, 20 और 21 का पालन सुनिश्चित करेगी।"

VIII. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में,

- i. खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों "से वह समनुषंगी अभिप्रेत होगी, जिसकी आय या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के लेखावर्ष में सूचीबद्ध एंटीटी और उसकी समानुषंगियों की क्रमशः समेकित आय या शुद्ध-मालियत के दस प्रतिशत से अधिक हो" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "का अर्थ होगा - वह सहायक कंपनी (समनुषंगी), जिसका टर्नओवर (व्यापारावर्त) या जिसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के लेखावर्ष में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी और उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी) के क्रमशः समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के दस प्रतिशत से अधिक हो" आ जाएँगे
- ii. खंड (घ) में शब्दों "कंपनी सचिव तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "वे व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति का दर्जा दिया गया हो (निदेशक मंडल में शामिल व्यक्तियों को छोड़कर)" आ जाएँगे;

IX. विनियम 17 में,

i. उप-विनियम (1क) में,

क) चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

ख) मौजूदा उप-विनियम (1क) के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी नॉन एक्ज़ीक्यूटिव डाइरेक्टर (गैर-कार्यपालक निदेशक) की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति करते समय या उसकी आयु पचहत्तर वर्ष पूरी होने से पहले किसी भी समय इस उप-विनियम का पालन सुनिश्चित करेगी।"

ii. मौजूदा उप-विनियम (1ग) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्, -

"(1ग) (क) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने अथवा प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के संबंध में, अगली आम बैठक (साधारण बैठक) में या नियुक्त किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर (जो भी पहले आए), शेयरधारकों की मंजूरी ले ली जाए:

परंतु यह कि यदि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की ऐसी नियुक्ति या फिर से नियुक्ति विनियामक प्राधिकरणों (रेग्युलेटरी अथॉरिटी), सरकारी प्राधिकरणों या सांविधिक प्राधिकरणों की मंजूरी पर निर्भर करती हो, तो ऐसे में इस प्रकार मंजूरी

मिलने में लगने वाले समय को इस खंड के प्रयोजनार्थ उपरोक्त अवधि में गिना नहीं जाएगा:

परंतु यह और कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक (साधारण बैठक) में ले ली जाए:

परंतु यह और कि इस खंड में दिए हुए प्रावधान वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्युलेटर), न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्यूनल) द्वारा सूचीबद्ध एंटीटी के बोर्ड में नामित किए गए व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के मामले में लागू नहीं होंगे।

(ख) जिस व्यक्ति के नाम के प्रस्ताव को शेयरधारक आम बैठक (साधारण बैठक) में पहले ही ठुकरा चुके हों, उस व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति [जिसमें प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति या फिर से नियुक्ति भी शामिल है] केवल शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी लेकर ही की जाएगी:

परंतु यह कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को शेयरधारक पहले ठुकरा चुके हों, उस व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने पर विचार करने के लिए, शेयरधारकों को भिजवाई जाने वाली सूचना (नोटिस) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 की उप-धारा (1) के अनुसार लगाए जाने वाले विवरण (स्टेटमेंट) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) का एक ब्यौरेवार स्पष्टीकरण दिया जाएगा और यह औचित्य भी बताया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त या फिर से नियुक्त करने की सिफारिश क्यों की गई है।

iii. उप-विनियम (1घ) में, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुकों में, शब्दों “परंतु यह और कि इस” तथा शब्दों “में दिया हुआ प्रावधान” से पहले दिए हुए शब्द “विनियम” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “उप-विनियम” आ जाएंगे;

iv. उप-विनियम (1ङ) में,

क) चिह्न तथा शब्द “, और” और शब्दों “खाली होने की तारीख” से पहले दिए हुए शब्द “जो” के स्थान पर शब्द “जिसे” आ जाएगा;

ख) मौजूदा पहले परंतुक में,

1. शब्दों “परंतु यह” के बाद और शब्द “कि” से पहले शब्द “और” जोड़ा जाएगा;
2. शब्दों तथा चिह्नों “इस विनियम के उप-विनियम (1)” के बाद और शब्दों “में दिए हुए प्रावधान” से पहले, चिह्न तथा शब्द “, विनियम 18 के उप-विनियम (1), विनियम 19 के उप-विनियम (1) एवं (2), विनियम 20 के उप-विनियम (2) एवं (2क) और विनियम 21 के उप-विनियम (2) एवं (3)” आ जाएंगे;

ग) मौजूदा पहले परंतुक से पहले, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि निदेशक का पद खाली होने की वजह से विनियम 18 के उप-विनियम (1), विनियम 19 के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 20 के उप-विनियम (2) या (2क) अथवा विनियम 21 के उप-विनियम (2) या (3) के प्रावधानों का उल्लंघन हो जाता है, तो ऐसे में सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी जल्द से जल्द किंतु वह पद खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर पालन सुनिश्चित करेगी:”

घ) मौजूदा दूसरे परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों “इस विनियम के उप-विनियम (1)” के बाद और शब्दों “में दिए हुए प्रावधान” से पहले चिह्न तथा शब्द “, विनियम 18 के

उप-विनियम (1), विनियम 19 के उप-विनियम (1) एवं (2), विनियम 20 के उप-विनियम (2) और (2क) और विनियम 21 के उप-विनियम (2) तथा (3) आ जाएँगे;

v. उप-विनियम (2) में,

क) शब्दों "निदेशक बोर्ड एक वर्ष" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) एक वित्तीय वर्ष" आ जाएँगे;

ख) शब्द "और" के बाद और शब्दों "किन्हीं दो बैठकों" से पहले शब्द "लगातार होने वाली" जोड़े जाएँगे;

vi. उप-विनियम (6) में, खंड (गक) में, शब्दों "का अनुमोदन प्रत्येक वर्ष लिया जाएगा" के स्थान पर शब्द "की मंजूरी उस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ली जाएगी" आ जाएँगे;

vii. उप-विनियम (11) में, शब्दों "बोर्ड की सिफारिश" के बाद और शब्दों "का भी स्पष्ट" से पहले, चिह्न तथा शब्द "(उसके तर्काधार सहित)" जोड़े जाएँगे;

X. विनियम 18 में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में,

क) शब्दों "लेखापरीक्षा समिति एक" के बाद और शब्दों "वर्ष में कम से कम" से पहले, शब्द "वित्तीय" जोड़ा जाएगा;

ख) शब्द "और" के बाद और शब्दों "दो बैठकों के बीच" से पहले, शब्द "लगातार होने वाली" आ जाएँगे;

XI. विनियम 19 में, उप-विनियम (3क) में, शब्दों "समिति की बैठक एक" के बाद और शब्दों "वर्ष में कम से कम" से पहले, शब्द "वित्तीय" जोड़ा जाएगा;

XII. विनियम 20 में, उप-विनियम (3क) में, शब्दों "समिति की बैठक एक" के बाद और शब्दों "वर्ष में कम से कम" से पहले, शब्द "वित्तीय" जोड़ा जाएगा;

XIII. विनियम 21 में, उप-विनियम (3क) में, "समिति की बैठक एक" के बाद और शब्दों "वर्ष में कम से कम" से पहले, शब्द "वित्तीय" जोड़ा जाएगा;

XIV. विनियम 23 में,

i. उप-विनियम (2) में, दूसरे परंतुक में, खंड (घ) और उसके स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित नए खंड और परंतुक जोड़े जाएँगे:

"(ड) सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) द्वारा उसके निदेशक, प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों [उन्हें छोड़कर जो संप्रवर्तक (प्रमोटर) हों या संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) का हिस्सा हों] को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक और बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते कि वह इस विनियम के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण न हो।

(च) लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हों, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) को, ऐसे लेनदेन किए जाने की तारीख से तीन महीनों के भीतर या लेखापरीक्षा समिति की ठीक अगली बैठक में (जो भी पहले आए) मंजूरी प्रदान कर सकेंगे, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:

(i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए किसी एक लेनदेन या सभी लेनदेन (जिन्हें मंजूरी प्रदान की गई हो) का मूल्य एक करोड़ रुपये से ज्यादा का न हो;

- (ii) किया गया लेनदेन इस विनियम के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण न हो;
- (iii) मंजूरी लेते समय लेखापरीक्षा समिति को यह बताना होगा कि लेनदेन करने से पहले मंजूरी किन कारणों से नहीं ली जा सकती;
- (iv) प्रदान की गई मंजूरी के ब्यौरे देने होंगे और साथ ही इस विनियम के उप-विनियम (9) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) की भी जानकारी देनी होगी;
- (v) लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित की गई कोई अन्य शर्त:

परंतु यह कि यदि किसी लेनदेन के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी नहीं ली जाती है, तो ऐसे में यदि लेखापरीक्षा समिति चाहे तो उस लेनदेन को हिसाब में नहीं भी ले सकेगी, और यदि वह लेनदेन और किसी निदेशक के संबंधित पक्ष के साथ किया गया हो या उस लेनदेन को किसी दूसरे निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, तो ऐसे में संबंधित निदेशक सूचीबद्ध एंटीटी को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करेगा (करेंगे)।”

ii. उप-विनियम (3) में,

- क) शब्दों "सूचीबद्ध एंटीटी" के बाद और शब्दों "द्वारा किए जाने" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी)" जोड़े जाएँगे;
- ख) खंड (क) में, शब्दों "लेखापरीक्षा समिति" के बाद और शब्दों "संबद्ध पक्षकार" से पहले दिए हुए शब्द "सूचीबद्ध एंटीटी के" हट जाएँगे;
- ग) खंड (घ) में, शब्दों "सूचीबद्ध एंटीटी" के बाद और शब्दों "द्वारा किए गए" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी)" जोड़े जाएँगे;

iii. उप-विनियम (5) में,

- क) खंड (क) में, शब्दों "दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए संव्यवहार" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों के बीच हुए लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन)" आ जाएँगे;
- ख) मौजूदा खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-
 - “(घ) ऐसे लेनदेन, जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार देय रकम, फीस या शुल्क के संबंध में किए गए हों, जिसमें एक पक्ष एंटीटी हो और दूसरा पक्ष या तो केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर दोनों हों।
 - (ङ) ऐसे लेनदेन, जिसमें एक पक्ष पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी हो और दूसरा पक्ष या तो केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर दोनों हों।”
- ग) स्पष्टीकरण हट जाएगा;

iv. उप-विनियम (9) में,

- क) मौजूदा तीसरे परंतुक में, शब्दों “ऐसे ब्यौरे प्रकट करेगी” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;
- ख) मौजूदा तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) द्वारा उसके निदेशक, प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों [उन्हें छोड़कर जो संप्रवर्तक (प्रमोटर) हों या संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) का हिस्सा हों] को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक और बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) की इस उप-विनियम के तहत जानकारी देने (डिस्कलोजर करने) की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते कि वह इस विनियम के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण न हो।”

XV. विनियम 24 में,

- i. उप-विनियम (1) में, स्पष्टीकरण में, शब्दों तथा चिह्नों “से वह समनुषंगी (सब्सिडियरी) अभिप्रेत होगी जिसकी आय या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के लेखा वर्ष में सूचीबद्ध एंटीटी और उसकी समनुषंगियों (सब्सिडियरी) की क्रमशः समेकित आय या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के बीस प्रतिशत से अधिक हो” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “का अर्थ होगा - वह समनुषंगी (सहायक कंपनी / सब्सिडियरी), जिसका टर्नओवर (व्यापारावर्त) या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के लेखावर्ष में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी और उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी) के क्रमशः समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के बीस प्रतिशत से अधिक हो” आ जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (6) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;
- iii. उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित सर्वोपरि (नॉन-ऑब्स्टेंट) खंड डाला जाएगा, अर्थात्,-
 “इस उप-विनियम में दी हुई कोई भी बात तब लागू नहीं होगी, जब संपत्तियों (आस्तियों / असेट्स) की बिक्री आदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी) के बीच की जाए या सूचीबद्ध एंटीटी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को संपत्तियाँ (आस्तियाँ / असेट्स) पट्टे पर दी जाएँ।”

XVI. विनियम 24क में,

- i. मौजूदा उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 “(1)(क) प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी और भारत में बनी उसकी महत्वपूर्ण असूचीगत (अनलिस्टिड) सहायक कंपनियाँ (सब्सिडियरी) सेक्रेटेरियल ऑडिटर (जो एक पीयर रिव्यू कंपनी सचिव होगा) से सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाएंगी, और निर्धारित किए गए फॉर्म में सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट सूचीबद्ध एंटीटी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लगाएँगी।

स्पष्टीकरण:

- (i) “सेक्रेटेरियल ऑडिटर” का अर्थ है - वह पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) या कंपनी सचिव (सचिवों) की फर्म, जिसे सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया हो।
- (ii) “पीयर रिव्यू कंपनी सचिव” का अर्थ है - वह पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी), जो या तो स्वयं या फिर प्रोप्राइटर के रूप में या फिर किसी पीयर रिव्यूड प्रैक्टिस यूनिट के भागीदार के रूप में पेशे में लगा हुआ हो, और जिसके पास भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया) द्वारा पीयर रिव्यू करने के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र हो;
- (ख) निदेशक मंडल द्वारा की सिफारिश के आधार पर, सूचीबद्ध एंटीटी अपनी वार्षिक आम बैठक (साधारण बैठक) में अपने शेयरधारकों की मंजूरी से:
- (i) किसी व्यक्ति की सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्ति या फिर से नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा लगातार पाँच वर्षों की अवधि के एक कार्यकाल के लिए ही करेगी; और

- (ii) किसी सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म की सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्ति या फिर से नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा लगातार पाँच वर्षों की अवधि के दो कार्यकाल के लिए ही करेगी:

परंतु यह कि –

- (i) सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किए गए जिस व्यक्ति ने इस खंड के उप-खंड (i) के अनुसार अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो, वह उसी एंटिटी के यहाँ अपना कार्यकाल पूरा होने की तारीख से पाँच वर्षों तक सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ii) जिस सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म ने इस खंड के उप-खंड (ii) के अनुसार अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो, वह उसी एंटिटी के यहाँ अपना कार्यकाल पूरा होने की तारीख से पाँच वर्षों तक सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी:

परंतु यह और कि नियुक्ति की तारीख तक की स्थिति के अनुसार यदि किसी सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म के पार्टनर किसी ऐसी दूसरी सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म के भी पार्टनर हो (हों), जिसका कार्यकाल सूचीबद्ध एंटिटी के यहाँ ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान ही पूरा हुआ हो, तो ऐसे में उसे उसी सूचीबद्ध एंटिटी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में पाँच वर्षों की अवधि तक नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात के होते हुए भी, एंटिटी अपनी वार्षिक आम बैठक (साधारण बैठक) में अपने शेयरधारकों की मंजूरी लेकर सेक्रेटेरियल ऑडिटर को हटाने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगी और तो और सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी सूचीबद्ध एंटिटी से त्यागपत्र देने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

- (ग) सेक्रेटेरियल ऑडिटर के त्यागपत्र देने, उसकी मृत्यु हो जाने या उसके अयोग्य हो जाने की वजह से अचानक खाली होने वाले पद को सूचीबद्ध एंटिटी का निदेशक मंडल तीन महीनों की अवधि के भीतर भरेगा, और इस प्रकार नियुक्त किया जाने वाला सेक्रेटेरियल ऑडिटर अगली वार्षिक आम बैठक (साधारण बैठक) होने तक उस पद पर बना रहेगा।”

- ii. उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(1क) सेक्रेटेरियल ऑडिटर की पात्रता, योग्यताएँ और उसका अयोग्य हो जाना:

- (क) कोई व्यक्ति सूचीबद्ध एंटिटी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, जब वह एक पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी हो और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए किसी प्रावधान के अनुसार अयोग्य न ठहरता हो:

परंतु यह कि जिस फर्म के ज्यादातर भागीदार (पार्टनर) भारत में अपने पेशे में लगे हुए हों और जो उपरोक्तानुसार नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हों, उस फर्म को सूचीबद्ध एंटिटी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में उनकी फर्म के नाम से नियुक्त किया जा सकेगा।

- (ख) जहाँ किसी फर्म [जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) शामिल है] को सूचीबद्ध एंटिटी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया जाता हो, वहाँ केवल वही भागीदार (पार्टनर) को फर्म की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होंगे, जो पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी हों।

- (ग) यदि सूचीबद्ध एंटिटी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उसे नियुक्त किए जाने के बाद, बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित किसी प्रावधान के अनुसार अयोग्य हो जाए, तो ऐसे में उसे सेक्रेटेरियल ऑडिटर का पद छोड़ना होगा और फिर ऐसे में वह पद खाली माना जाएगा।

- (1ख) सेक्रेटेरियल ऑडिटर द्वारा कुछ सेवाएँ प्रदान न किया जाना:

इन विनियमों के तहत नियुक्त किया गया सेक्रेटेरियल ऑडिटर सूचीबद्ध एंटीटी को केवल ऐसी दूसरी सेवाएँ प्रदान करेगा, जिनकी मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा दी गई हो, किंतु वह ऐसी सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा जिन पर बोर्ड द्वारा रोक लगाई गई हो।

(1ग) 1 अप्रैल 2025 से, प्रत्येक सूचीबद्ध एंटीटी अपने यहाँ सेक्रेटेरियल ऑडिटर को नियुक्त किए जाने, फिर से नियुक्त किए जाने या उसका कार्यकाल बढ़ाए जाने के संबंध में उप-विनियम (1), (1क) और (1ख) का पालन सुनिश्चित करेगी:

परंतु यह कि 31 मार्च, 2025 से पहले सूचीबद्ध एंटीटी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में यदि किसी व्यक्ति या फर्म ने अपनी सेवाएँ दी हों; तो ऐसे में वह जितने समय के लिए उस तारीख से पहले अपनी सेवाएँ दे चुका (चुकी) हो उस अवधि को उप-विनियम (1) के खंड (ख) के तहत कार्यकाल में नहीं गिना जाएगा।”

iii. उप-विनियम (2) में,

क) चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

ख) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि 1 अप्रैल, 2025 से, हर वर्ष स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत की जाने वाली ‘सेक्रेटेरियल कम्प्लायंस रिपोर्ट’ पर केवल उस सेक्रेटेरियल ऑडिटर या पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएँ, जो इस विनियम के उप-विनियम (1क) और (1ख) में दी हुई शर्तों पर खरा उतरता हो।”

XVII. विनियम 25 में, उप-विनियम (6) के साथ-साथ उसका परंतुक भी हट जाएगा;

XVIII. विनियम 26 में, उप-विनियम (6) में,

i. मौजूदा पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि करार (एग्रीमेंट) के तहत जिन भी व्यक्तियों ने लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किया हो, वे आम बैठक (साधारण बैठक) में मतदान नहीं करेंगे:”

ii. मौजूदा दूसरे परंतुक में,

क) शब्दों तथा चिह्नों “इस उप-विनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को जो करार अस्तित्व में हो (यदि कोई हो),” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऐसा कोई मौजूदा करार जो सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के बाद भी जारी रहे” आ जाएँगे;

ख) शब्द “बोर्ड की आगामी बैठक में” हट जाएँगे;

iii. मौजूदा तीसरे परंतुक में, शब्दों “आगामी साधारण बैठक” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सूचीबद्धता (लिस्टिंग) होने के बाद आयोजित पहली आम बैठक (साधारण बैठक)” आ जाएँगे, और शब्दों “रखा जाएगा” के बाद चिह्न तथा शब्द “, और करार (एग्रीमेंट) के तहत किए जाने वाले लेनदेन में जो भी व्यक्ति शामिल हों, वे आम बैठक (साधारण बैठक) में मतदान नहीं करेंगे” आ जाएँगे;

iv. मौजूदा चौथा परंतुक हट जाएगा;

XIX. विनियम 26क में, मौजूदा उप-विनियम (2) और उसके परंतुकों के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“(3) यदि किसी ऐसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के यहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनिजिंग डाइरेक्टर), पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक या मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर) का कोई पद खाली हो, जिसके संबंध में दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को मंजूरी प्रदान कर दी गई हो, तो ऐसे में उस पद को इस प्रकार मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर भरना होगा:

परंतु यह कि जब तक वह पद भरा न जाए, तब तक के लिए उस सूचीबद्ध एंटीटी के यहाँ रोजमर्रा का कामकाज कम से कम एक "प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति" पूर्णकालिक आधार पर देखे।"

XX. विनियम 27 में, उप-विनियम (2) में,

i. मौजूदा खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) सूचीबद्ध एंटीटी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास कंपनी संचालन (कंपनी शासन) से संबंधित मानदंडों के पालन के संबंध में हर तिमाही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और जो उस फॉर्मेट में तथा उतनी समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत करनी होगी, जैसा समय-समय पर बोर्ड द्वारा बताया जाए।"

ii. खंड (ख) हट जाएगा;

XXI. विनियम 30 में, उप-विनियम (6) में,

i. खंड (i) में, चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित नए परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि निदेशक मंडल की बैठक उस दिन आम तौर पर की जाने वाली ट्रेडिंग का समय समाप्त होने के बाद खत्म होती है, किंतु उस बैठक के खत्म होने से लेकर अगले ट्रेडिंग के दिन आम तौर पर की जाने वाली ट्रेडिंग का समय शुरू होने के बीच तीन घंटों से ज्यादा का समय शेष रहता है, तो ऐसे में सूचीबद्ध एंटीटी घटना या जानकारी के संबंध में लिए गए निर्णय के ब्यौरे, बोर्ड की बैठक खत्म होने से तीन घंटों के भीतर देगी:

परंतु यह और कि यदि निदेशक मंडल की बैठक एक से ज्यादा दिनों के लिए आयोजित की जा रही हो, तो ऐसे में जिस दिन वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाए उस दिन ऐसी बैठक के समाप्त होने के तीस मिनटों या तीन घंटों के भीतर (जो भी लागू हो), वित्तीय परिणामों की जानकारी देनी होगी।"

iii. खंड (iii) के बाद, मौजूदा पहले परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के बाद और शब्दों, चिह्न तथा अंक "कि अनुसूची-III" से पहले शब्द "और" जोड़ा जाएगा;

iv. खंड (iii) के बाद और मौजूदा परंतुकों से पहले, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटीटी के खिलाफ जो दावे अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-ख के उप-पैरा 8 के अनुसार किसी मुकदमे या विवाद (कर संबंधी मुकदमों या विवादों को छोड़कर) के तहत किए जाते हों, यदि उनसे संबंधित समस्त जानकारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन, 1992] के अनुसार सूचीबद्ध एंटीटी के स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस में रखी जाती हो, तो ऐसे दावों की जानकारी सूचीबद्ध एंटीटी की ओर से सूचना (नोटिस) मिलने के बहतर घंटों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को देनी होगी।"

v. खंड (iii) के बाद, परंतुकों के बाद, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण: आम तौर पर की जाने वाली ट्रेडिंग के समय का अर्थ है - वह समयावधि जिसके दौरान सभी निवेशक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेडिंग कर सकते हैं।"

XXII. विनियम 30क में, उप-विनियम (2) में, शब्दों "ऐसे करारों के" के बाद और शब्दों "ब्यौरे दिए हुए हों" से पहले दिया हुआ शब्द "पूरे" हट जाएगा;

XXIII. विनियम 31क में,

i. उप-विनियम (2) के साथ-साथ उसका परंतुक भी हट जाएगा;

ii. उप-विनियम (3) में,

क) शब्दों तथा चिह्न "स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) से जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने के बाद ही दी जाएगी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "संप्रवर्तक (प्रोमोटर) [जिसमें संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) शामिल हैं] की स्थिति को पुनःवर्गीकृत तभी किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली जाएँ" आ जाएँगे;

ख) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी हो जाने पर:

- (i) पुनःवर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) सूचीबद्ध एंटीटी के पास पुनःवर्गीकरण के लिए निवेदन (उसका तर्काधार बताते हुए) करेगा (करेंगे) और साथ ही वह (वे) यह भी बताएगा (बताएँगे) कि इस उप-विनियम (3) के खंड (ख) में दी हुई शर्तें किस प्रकार पूरी की गईं;
- (ii) सूचीबद्ध एंटीटी का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) ठीक बाद वाली बोर्ड की बैठक में या उसके संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से निवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो महीनों के भीतर, जो भी पहले हो, ऐसे निवेदन [जो उप-विनियम (3) में दी हुई शर्तों का पालन करते हुए किया गया हो] का विश्लेषण करेगा और उसके संबंध में अपने विचार जाहिर करेगा;
- (iii) सूचीबद्ध एंटीटी, निदेशक मंडल द्वारा निवेदन पर विचार कर लिए जाने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर, पुनःवर्गीकरण के लिए किए गए ऐसे निवेदन के संबंध में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी और जिसके साथ बोर्ड द्वारा जाहिर किए गए विचार भी रखे जाएँगे;
- (iv) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसा (ऐसे) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन (आवेदनों) के संबंध में निर्णय लेगा, किंतु इस तीस दिनों की अवधि में सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लिया गया समय (यदि कोई हो) शामिल नहीं होगा:

परंतु यह और कि यदि एंटीटियाँ एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, तो ऐसे में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज उस आवेदन के संबंध में मिलकर निर्णय लेंगे।

- (v) सूचीबद्ध एंटीटी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की ओर से अनापत्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, पुनःवर्गीकरण के लिए किया गया निवेदन आम बैठक (साधारण बैठक) में शेयरधारकों के समक्ष उनकी मंजूरी के लिए रखेगी, जिसके साथ निदेशक मंडल द्वारा निवेदन के संबंध में जाहिर किए गए विचार भी रखे जाएँगे और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त अनापत्ति पत्र भी रखा जाएगा;
- (vi) पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के निवेदन के संबंध में उस आम बैठक (साधारण बैठक) में साधारण संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के माध्यम से मंजूरी ली जाएगी, जिसमें इस प्रकार पुनःवर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक तथा उससे (उनसे) संबंधित व्यक्ति ने पुनःवर्गीकरण के ऐसे निवेदन को मंजूरी प्रदान किए जाने के संबंध में मत नहीं डालेंगे:

परंतु यह कि इस उप-खंड के प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे:

(क) जहाँ पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) और पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से संबंधित व्यक्तियों के पास, कुल-मिलाकर, उस सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी में कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक न हो;

(ख) जहाँ पुनःवर्गीकरण तलाक होने की वजह से हो जाए।

(vii) सूचीबद्ध एंटीटी शेयरधारकों की मंजूरी मिलने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगी और पुनःवर्गीकरण कर देगी:

परंतु यह कि यदि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव हो जाएँ, तो ऐसे में सूचीबद्ध एंटीटी को इस प्रकार पुनःवर्गीकरण करने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी लेनी होगी।”

iii. उप-विनियम (5) में,

क) शब्दों “उससे यह अपेक्षित होगा कि वह” के स्थान पर शब्द “उसे” आ जाएगा;

ख) शब्द “लाए” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “लाना होगा, और स्वयं को संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के रूप में पुनःवर्गीकृत करने के अपने इरादे की जानकारी प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में देनी होगी” आ जाएँगे;

iv. उप-विनियम (8) में,

क) खंड (ख) में, शब्दों “के कार्यवृत्त” के स्थान पर शब्द “में लिए गए निर्णय” आ जाएँगे;

ख) खंड (ग) में,

i. शब्दों “पुनःवर्गीकरण किए जाने” के बाद और शब्दों “आवेदन प्रस्तुत करना” से पहले दिए हुए शब्द “संबंधी” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “हेतु मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से अनापत्ति प्राप्त करने या उनकी मंजूरी लेने के लिए” आ जाएँगे;

ii. शब्द तथा चिह्न “संप्रवर्तक /” हट जाएँगे;

ग) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ङ) विनियम 44 के उप-विनियम (3) में दी हुई समय-सीमाओं के भीतर, आम जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकरण किए जाने के लिए संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में शेयरधारकों द्वारा मंजूरी प्रदान किया जाना।”

iii. मौजूदा उप-विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(9) इस विनियम के उप-विनियम (3), (4) और (8) के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे, जब संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) [प्रोमोटर] का पुनःवर्गीकरण दिवाला संहिता (इनसॉल्वेंसी कोड) की धारा 31 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार होता हो या किसी कानून के तहत किसी विनियामक (रेग्युलेटर) के आदेश के अनुसरण में होता हो, बशर्ते कि -

(क) ऐसे संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के हाथों में सूचीबद्ध एंटीटी का नियंत्रण न रहे;

(ख) चौबीस घंटों के भीतर समाधान योजना या विनियामक के आदेश की जानकारी दी जाए, और साथ ही यह सूचना भी दी जाए कि ऐसा संप्रवर्तक (ऐसे संप्रवर्तक) सूचीबद्ध एंटीटी का (के) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) नहीं रहेगा (रहेंगे) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा नहीं रहेगा (रहेंगे)।”

iv. उप-विनियम (10) में,

क) शब्द तथा चिह्न "के खंड (क) एवं खंड (ख)" हट जाएँगे;

ख) शब्दों "किया जा चुका हो" के बाद दिए हुए चिह्न ":" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द ", बशर्ते कि -" आ जाएँगे;

ग) मौजूदा परंतुक से पहले, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(i) इस विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (ख) एवं खंड (ग) का पालन किया जाए, और

(ii) खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) या इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के संबंध में कार्यवाही पूरी हो जाने के चौबीस घंटों के भीतर पुनःवर्गीकरण किए जाने की जानकारी दी जाए:”

घ) मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नए स्पष्टीकरण जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण I: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) की प्रक्रिया पूरी होने का अर्थ है:

(i) वह तारीख जब पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के पास पड़े शेयर नए अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को असल में शेयर अंतरित (ट्रांसफर) कर दिए जाएँ, या

(ii) वह तारीख जब नए अर्जनकर्ता (एक्वायरर) सूचीबद्ध एंटीटी का नियंत्रण अपने हाथों में ले ले, जो भी बाद में आए।

स्पष्टीकरण II: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, इंतजाम की स्कीम की प्रक्रिया पूरी होने का अर्थ है - वह तारीख जब मंजूर की गई स्कीम के अनुसार सूचीबद्ध एंटीटी या जिस एंटीटी को अंतरण (ट्रांसफर) किया जा रहा हो उस एंटीटी या बनने वाली नई एंटीटी के सभी पात्र शेयरधारकों को शेयर दे दिए जाएँ।”

XXIV. विनियम 33 में, उप-विनियम (3) में,

i. खंड (क) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

ii. खंड (क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध एंटीटी के संबंध में दिवाला संहिता (इन्सोल्वेंसी कोड) की धारा 31 के तहत समाधान योजना को जिस तिमाही के दौरान मंजूरी दी गई हो, उस तिमाही के समाप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी अपने वित्तीय परिणामों की जानकारी देगी, किंतु यदि ऐसी समाधान योजना को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मंजूरी दी गई हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी।”

iii. खंड (घ) में, मौजूदा पहले परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के बाद और शब्दों "कि यदि" से पहले, शब्द "और" जोड़ा जाएगा;

iv. खंड (घ) में, मौजूदा पहले परंतुक से पहले, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध एंटीटी के संबंध में दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान दी गई हो, वह अपने वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की जानकारी ऐसे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर देगी:”

- XXV. विनियम 34 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों "उस दिन के बीतने से पहले" के स्थान पर शब्द "उस दिन से पहले या उस दिन " आ जाएँगे;
- XXVI. विनियम 36 में,
- i. उप-विनियम (1) में,
 - क) खंड (ख) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "उन शेयरधारकों को समस्त दस्तावेजों की मुख्य बातों से युक्त विवरण की कागजी प्रति, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित है, जिन्होंने इस प्रकार दर्ज न कराया हो" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जिन शेयरधारकों ने इस प्रकार अपनी ईमेल आईडी दर्ज न कराई हो, उन्हें एक पत्र देगी जिसमें वह वेब-लिंक दिया गया हो, जिसे क्लिक करने पर वही वेबपेज खुले जहाँ वार्षिक रिपोर्ट के पूरे ब्यौरे दिए हुए हों" आ जाएँगे;
 - ख) खंड (ग) में,
 - I) शब्द "प्रतियाँ" के स्थान पर शब्द "प्रति" आ जाएगा;
 - II) शब्द "रिपोर्टों" के स्थान पर शब्द "रिपोर्ट" आ जाएगा;
 - ii. उप-विनियम (2) हट जाएगा;
 - iii. उप-विनियम (5) में,
 - क) शब्दों तथा चिह्नों "कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) [स्टैट्यूटरी ऑडिटर]" के बाद और शब्दों "की नियुक्ति" से पहले शब्द "या सेक्रेटेरियल ऑडिटर" जोड़े जाएँगे;
 - ख) खंड (क) में, शब्दों तथा चिह्नों "कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों)" के बाद और शब्दों "को अदा किए जाने" से पहले, शब्द "या सेक्रेटेरियल ऑडिटर" जोड़े जाएँगे;
 - ग) खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्नों "उस कानूनी लेखापरीक्षक (उन कानूनी लेखापरीक्षकों)" के बाद और शब्दों "से संबंधित विवरण" से पहले शब्द "या उस सेक्रेटेरियल ऑडिटर" जोड़े जाएँगे;
- XXVII. विनियम 37 में, मौजूदा उप-विनियम (6) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम और परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्,-
- "(6) इस विनियम में दी हुई कोई भी बात उन ड्राफ्ट (प्रारूप) स्कीमों पर लागू नहीं होगी, जो महज इसलिए लाई जा रही हो, ताकि -
- क) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) का उसकी नियंत्री कंपनी (होलिंग कंपनी) में विलय (मर्जर) हो जाए; या
 - ख) केवल कुल-मिलाकर हुए नुकसान को सूचीबद्ध एंटीटी की शेयर पूँजी में से घटाकर बढ़े खाते डाला जा सके (जिसका असर आनुपातिक आधार पर सभी शेयरधारकों पर समान रूप से पड़े) या सूचीबद्ध एंटीटी की आरक्षितियों (रिज़र्व) में से घटाकर बढ़े खाते डाला जा सके:
- परंतु यह कि ऐसी ड्राफ्ट स्कीमों मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास जानकारी (डिस्कलोज़र) के लिए दाखिल की जाएँगी।"
- XXVIII. विनियम 39 में,
- i. उप-विनियम (2) में,
 - क) शब्दों "के मामले में" के बाद और शब्दों "या रसीदें" से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों "प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "पुष्टि-पत्र" आ जाएँगे;

ख) शब्दों "उन मामलों में" के बाद और शब्दों "या रसीदें" के पहले दिए हुए शब्दों "नए प्रमाणपत्र" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "पुष्टि-पत्र" आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (3) हट जाएगा;

XXIX. विनियम 40 में, उप-विनियम (2), (3), (6), (8), (9) और (10) हट जाएँगे;

XXX. विनियम 42 में,

i. उप-विनियम (2) में,

क) शब्दों तथा चिह्न "सात कार्य-दिवस" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवसों" आ जाएँगे;

ख) परंतुक में,

I) शब्दों तथा चिह्नों "साधिकार निर्गमों (राइट्स इश्यू)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "विनियम 37 के तहत लाई जाने वाली इंतजाम की स्कीमों (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के जरिए किए जाने वाले कारपोरेट एक्शन" आ जाएँगे;

II) शब्दों तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवस" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "सात कार्य-दिवसों" आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (3) हट जाएगा;

iii. उप-विनियम (4) में, शब्दों "तीस दिनों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "पाँच कार्य-दिवसों" आ जाएँगे;

iv. उप-विनियम (5) और उसके परंतुक हट जाएँगे;

XXXI. विनियम 44 में,

i. उप-विनियम (4) में, शब्दों तथा चिह्नों "सूचीबद्ध एंटीटी सभी मामलों में प्रतिभूतियों के धारकों को परोक्षी (प्रॉक्सी) के फॉर्म यह उल्लेख करते हुए भेजेगी कि धारक या तो प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या के खिलाफ मत दे सके।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जिनके पास पड़ी हों, उन्हें सूचीबद्ध एंटीटी सभी मामलों में प्रॉक्सी फॉर्म यह जिक्र करते हुए भेजेगी कि वे प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या उसके खिलाफ मत डाल सकते हैं:" आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि प्रॉक्सी फॉर्म भेजने की जरूरत तब नहीं होगी, जब आम बैठकें (साधारण बैठकें) केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएँ।"

XXXII. विनियम 46 में, उप-विनियम (2) में,

i. खंड (क) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(कक) संगम ज्ञापन (मेमोरेण्डम ऑफ असोसिएशन) और संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन);

(कख) निदेशक मंडल का संक्षिप्त प्रोफाइल, जिसमें यह जानकारी दी जाए कि निवेशक किन-किन कंपनियों (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) में निदेशक पद पर हैं और पूर्णकालिक पदों पर हैं;"

ii. खंड (ण) में मौजूदा प्रावधान अब उप-खंड (i) बन जाएगा;

- iii. मौजूदा खंड (ण) में, शब्दों तथा चिह्नों "और सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन" के स्थान पर चिह्न ";," आ जाएगा;
- iv. खंड (ण) में, उप-खंड (i) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 "(ii) सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक पोस्ट अर्निंग्स या क्वार्टर्ली कॉल्स हेतु तैयार किए गए प्रेजेंटेशन (उनके शुरू होने से पहले)।"
- v. मौजूदा खंड (णक) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड (णक) और परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-
 "(णक) पोस्ट अर्निंग या क्वार्टर्ली कॉल (जिनमें मौजूदगी आमने-सामने रही हो या जिनका आयोजन डिजिटल माध्यमों के जरिए किया गया हो, फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए), की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग (यदि कोई हो) और ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
 i. ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, और किसी भी दशा में अगले ट्रेडिंग के दिन से पहले या ऐसे कॉल के समाप्त होने के चौबीस घंटों के भीतर, जो भी पहले हो, उपलब्ध कराई जाएगी;
 ii. वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि कोई हों, ऐसे कॉल के समाप्त होने के अड़तालीस घंटों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी;
 iii. ट्रांसक्रिप्ट ऐसे कॉल के समाप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ, वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे:
 परंतु यह कि –
 (क) इस खंड के उप-खंड (i) एवं (ii) के तहत दी जाने वाली जानकारी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की वेबसाइट पर कम से कम दो वर्षों तक डली रहेगी, और उसके बाद विनियम 9 के खंड (ख) के अनुसार दस्तावेज रखे जाने के संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी की नीति के अनुसार डली रहेगी।
 (ख) इस खंड के उप-खंड (iii) के तहत दी जाने वाली जानकारी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की वेबसाइट पर कम से कम पाँच वर्षों तक डली रहेगी और जिसे विनियम 9 के खंड (ख) के अनुसार रखा जाएगा।"
- vi. खंड (य) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ";," आ जाएगा;
- vii. खंड (य) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (यक) और परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-
 "(यक) कर्मचारी फायदों की स्कीम से संबंधित दस्तावेज [जिसमें कारोबार से जुड़ी गोपनीय जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी शामिल नहीं है, जिससे सूचीबद्ध एंटीटी की प्रतियोगी स्थिति (कॉम्पैटीटिव पोझीशन) पर असर पड़ सकता हो], जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 [सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी) रेग्यूलेशन, 2021] के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हों:
 परंतु यह कि कर्मचारी फायदों की स्कीम से संबंधित दस्तावेज में से उपरोक्त खंड (यक) के अनुसार जानकारी हटाने की मंजूरी सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल द्वारा प्रदान की जाएगी और जिसके संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:"
- viii. खंड (यक) के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि इस उप-विनियम के पालन के प्रयोजनार्थ, सूचीबद्ध एंटिटी उस प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के वेबपेज का वह लिंक प्रदान कर सकेगी, जिसे क्लिक करने पर वही वेबपेज खुले जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा ऐसी जानकारी पहले ही डलवाई जा चुकी हो।"

XXXIII. विनियम 47 में,

i. मौजूदा उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(1) निदेशक मंडल की जिस बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की गई हो उस बैठक के समाप्त होने के अड़तालीस घंटों के भीतर सूचीबद्ध एंटिटी समाचारपत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करेगी, जिसमें वह क्लिक रिस्पॉन्स कोड (क्यू.आर. कोड) दिया हुआ हो और उस वेबपेज के ब्यौरे दिए हुए हों, जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी के वे समस्त वित्तीय परिणाम दिए हुए हों जिनका जिक्र विनियम 33 में किया गया है, और जिसके साथ लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा दिए गए मॉडिफाइड ओपिनियन या रिज़र्वेशन [यदि कोई हो (हों)] की जानकारी भी देनी होगी:

इस विनियम में दी हुई कोई भी बात सूचीबद्ध एंटिटी को निदेशक मंडल की जिस बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई हो उस बैठक के समाप्त होने के 48 घंटों के भीतर, विनियम 33 के अनुसार अपने वित्तीय परिणाम [लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा दिए गए मॉडिफाइड ओपिनियन या रिज़र्वेशन के साथ] निर्धारित फॉर्मेट में किसी समाचारपत्र में प्रकाशित करने से नहीं रोकेगी (यदि सूचीबद्ध एंटिटी ऐसा करना चाहे तो)।"

ii. उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) तथा उसका परंतुक हट जाएँगे;

XXXIV. विनियम 50 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (4) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(4) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाने वाली जानकारी, एक्स.बी.आर.एल. फॉर्मेट में और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।"

XXXV. विनियम 52 में, उप-विनियम (2) में,

i खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही वित्तीय परिणामों को मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा प्रदान की जाएगी।"

ii खंड (ख) के बाद और खंड (ग) से पहले, निम्नलिखित खंड (खक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(खक) स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय परिणामों पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर), या किसी पूर्णकालिक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे या इन सभी की अनुपस्थिति में, उन पर सूचीबद्ध एंटिटी के किसी ऐसे अन्य निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे जिसे वित्तीय परिणामों पर हस्ताक्षर करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किया गया हो।"

XXXVI. विनियम 60 में,

i उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(1) सूचीबद्ध एंटिटी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 के विनियम 23 के उप-विनियम (7) के अनुसार एक रिकॉर्ड तिथि तय करेगी।"

ii उप-विनियम (2) में शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "तीन" आ जाएगा;

XXXVII. अनुसूची-II में, भाग-ड में,

i. पैरा-क में,

क) मौजूदा पैरा अब उप-पैरा (i) बन जाएगा;

ख) उप-पैरा (i) के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(ii) विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा तैयार की गई सूची के अनुरूप जिन सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों का क्रम 1001 से 2000 तक हो, वे यह प्रयास करेंगी कि उनके निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक महिला हो।"

ii. पैरा-ड के बाद, निम्नलिखित नए पैरा जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"च. स्वतंत्र निदेशक

बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के लिहाज से शीर्ष 2000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों के स्वतंत्र निदेशक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम ऐसी दो बैठकें करने का प्रयास करेंगे, जिनमें न तो वे निदेशक मौजूद रहेंगे जो स्वतंत्र निदेशक न हों और न ही प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के सदस्य मौजूद रहेंगे, और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में मौजूद रहने का प्रयास करेंगे।

छ. जोखिम प्रबंधन

विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा तैयार की गई सूची के अनुरूप जिन सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों का क्रम 1001 से 2000 तक हो, वे एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन कर सकेंगी और जिसकी संरचना, भूमिकाएँ व जिम्मेदारियाँ उसी प्रकार तय की जाएँगी, जैसा कि विनियम 21 में जिक्र किया गया है।"

XXXVIII. अनुसूची-III में,

i. भाग-क में,

क) पैरा-क में,

1. उप-पैरा 1 में, स्पष्टीकरण (1) में, खंड (ii) में,

I) उप-खंड (क) में, शब्द "पाँच" के स्थान पर शब्द "बीस" आ जाएगा;

II) उप-खंड (ख) में, शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पाँच" आ जाएगा;

III) उप-खंड (ग) में, शब्दों "पार कर जाए" के बाद दिए हुए चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

IV) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि किसी असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनी के शेयरों या मताधिकारों के कुल पाँच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर या मताधिकार हासिल करने पर उसकी जानकारी, और यदि इस परंतुक के तहत अंतिम बार जानकारी प्रस्तुत किए जाने के बाद धारिता (होल्डिंग) में ऐसा कोई बदलाव हो जाए, जो उपरोक्त असूचीगत कंपनी की कुल शेयरधारिता या मताधिकारों के दो प्रतिशत से अधिक हो, तो ऐसा बदलाव होने पर उसकी जानकारी, हर तिमाही में उस फॉर्मेट में दी जाएगी जो निर्धारित किया जाए।"

2. उप-पैरा 4 में,

I) शब्दों, अंक तथा चिह्न "बैठक की समाप्ति के 30 मिनट के भीतर," के स्थान पर शब्द "निदेशक मंडल की बैठकों के निष्कर्ष" आ जाएँगे;

II) खंड (क) में, शब्द तथा चिह्न "और/या नकद बोनस" हट जाएँगे;

III) खंड (घ) में, शब्दों "निधि जुटाए जाने के प्रस्ताव संबंधी विनिश्चय" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जो पैसा (निधि / फंड) जुटाया जाना हो उससे संबंधित निर्णय, जिसमें बाद वाले सार्वजनिक प्रस्ताव (फर्दर पब्लिक ऑफर) के जरिए, राइट्स इश्यू (साधिकार निर्गम) के जरिए, अमेरिकन डिपॉज़िटरी रसीदों / ग्लोबल डिपॉज़िटरी रसीदों / फॉरेन करेंसी कनवर्टिबल बॉण्डों के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट (अर्हित संस्थागत नियोजन) के जरिए, ऋण निर्गम (डैट इश्यू) के जरिए, प्रेफरेंशियल इश्यू (अधिमानी निर्गम) के जरिए या किसी दूसरे माध्यम से प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जारी करके [जिसमें प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटी रिसीट), प्रतिभूत ऋण लिखतें (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित मुद्रा बाजार (मनी मार्केट) लिखतें (इंस्ट्रूमेंट्स) जारी करना शामिल नहीं है] जारी करके पैसा (निधि / फंड) जुटाना शामिल है;" आ जाएंगे;

IV) परंतुक हट जाएगा;

3. उप-पैरा 6 में, मौजूदा स्पष्टीकरण-2 के बाद, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण-3 – वरिष्ठ प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के व्यक्तियों [उन्हें छोड़कर जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर), निदेशक या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजमेंट पर्सोनल) हों] द्वारा की गई धोखाधड़ी की जानकारी तभी देनी होगी जब उसका ताल्लुक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी से हो।"

4. उप-पैरा 15 में,

I) खंड (क) में,

क. मौजूदा प्रावधान अब उप-खंड (i) बन जाएगा;

ख. शब्दों तथा चिह्नों "और सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन।" के स्थान पर चिह्न ";" आ जाएगा;

ग. उप-खंड (i) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(ii) विश्लेषकों (एनालिस्ट) या संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) की बैठक, पोस्ट अर्निंग्स या क्वार्टर्ली कॉल के लिए सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा तैयार किए गए प्रेजेंटेशन ऐसी बैठकों आदि के शुरू होने से पहले ही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा किए जाएंगे।"

घ. मौजूदा स्पष्टीकरण अब स्पष्टीकरण-I बन जाएगा;

ङ. मौजूदा स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण-II: सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी यदि चाहे तो विश्लेषकों (एनालिस्ट) या संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) की बैठक की समय-सारणी (कार्यक्रम-सूची) देते समय उसमें नामों का उल्लेख कर भी सकती है।"

II) मौजूदा खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) पोस्ट अर्निंग या क्वार्टर्ली कॉल (जिनमें मौजूदगी आमने-सामने रही हो या जिनका आयोजन डिजिटल माध्यमों के जरिए किया गया हो, फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए), की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग (यदि कोई हो) और ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- i. ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, और किसी भी दशा में अगले ट्रेडिंग के दिन से पहले या ऐसे कॉल के समाप्त होने के चौबीस घंटों के भीतर, जो भी पहले हो, उपलब्ध कराई जाएगी;
- ii. वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि कोई हों, ऐसे कॉल के समाप्त होने के अड़तालीस घंटों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी;
- iii. ट्रांसक्रिप्ट ऐसे कॉल के समाप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ, वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।"

5. उप-पैरा 17 में, खंड-(ख) के बाद, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, फॉरेंसिक ऑडिट (न्यायालयिक लेखापरीक्षा) का अर्थ है - वे ऑडिट (फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) जो यह पता लगाने के उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं कि कहीं वित्तीय विवरणों में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई, पैसों (फंडों) का गबन तो नहीं किया गया, पैसों (फंड) को कहीं बेईमानी से निकाला तो नहीं गया या कहीं और तो नहीं लगाया गया, और जिसमें ऐसे मामलों का ऑडिट शामिल नहीं है जिनकी वजह से सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जारी किए गए वित्तीय विवरणों में कोई बदलाव करने की जरूरत न पड़े [जैसे कि प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल, उत्पादन, भर्ती, सप्लाय चैन [जिसमें खरीददारी (प्रोक्योरमेंट) शामिल है] या ऐसे ही दूसरे मामलों का ऑडिट]।"

6. उप-पैरा 20 में,

I) शब्दों तथा चिह्न "उपरोक्त जानकारी के साथ-साथ" के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न "शुरू की गई," हट जाएंगे;

II) खंड (ii) में, शब्दों तथा चिह्नों "कार्रवाई (कार्रवाईयाँ) की गई (गई)" और शब्दों "या किस प्रकार का आदेश" से पहले दिए हुए चिह्न तथा शब्द ", शुरू की गई (गई)" हट जाएंगे;

III) खंड (v) के बाद, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण - यदि कोई जुर्माना आदि लगाया जाता है, तो उसकी जानकारी वैसे ही दी जाएगी जैसा कि नीचे बताया गया है, और साथ ही की गई उस कार्रवाई (उन कार्रवाईयों) या पारित किए गए उन आदेशों के ब्यौरे भी दिए जाएंगे जिसका (जिनका) जिक्र इस उप-पैरा में दिया गया है:

- (i) यदि संबंधित क्षेत्र के विनियामक (रेग्युलेटर) या प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) एजेंसी द्वारा एक लाख रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना आदि लगाया जाता है और किसी अन्य प्राधिकरण (अथॉरिटी) या न्यायिक निकाय (ज्यूडिशियल बॉडी) द्वारा दस लाख रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना आदि लगाया जाता है, तो उसकी जानकारी इस प्रकार जुर्माना आदि लगाए जाने के चौबीस घंटों के भीतर देनी होगी।
- (ii) खंड (i) में जुर्माने आदि की जितनी रकम का उल्लेख किया गया है यदि उससे कम रकम या जुर्माना आदि लगाया गया हो, तो उसकी जानकारी तिमाही आधार पर उस फॉर्मेट में देनी होगी जो निर्धारित किया जाए।”

ii. भाग-ख में, खंड क में, पैरा 17 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

“(17) अनुसूची-III के भाग-क के खंड-क के पैरा 6 के अनुसार, सूचीबद्ध एंटीटी, उसके संप्रवर्तक (प्रमोटर), निदेशक, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल या सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) द्वारा की गई धोखाधड़ी या की गई चूक अथवा सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, संप्रवर्तक (प्रमोटर) या उसके निदेशक की गिरफ्तारी (फिर चाहे भारत में हुई हो या किसी दूसरे देश में हुई हो)।”

iii. भाग-ग में, पैरा-क में, उप-पैरा (3) में, खंड (क) में,

क) शब्द "लाभांश" के बाद और शब्दों "जिनकी सिफारिश की गई" से पहले दिए हुए शब्द तथा चिह्न "और/या नकद बोनस" हट जाएंगे;

ख) शब्दों "लाभांश देने का" और चिह्न ";" से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों "विनिश्चय (निर्णय)" के स्थान पर शब्द "निर्णय" आ जाएगा;

XXXIX. अनुसूची-V में, पैरा-ग में, उप-पैरा (9) में, खंड (ङ), (च) और (छ) हट जाएंगे।

जी. राम मोहन राव, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./758/2024-25]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:
 - 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

- घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
- ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/029, द्वारा
- च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित], द्वारा
- छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
- झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा
- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा
- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा
- फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा
- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/47, द्वारा
- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा
- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा

- डड) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा
- छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा
- जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा
- झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा
- ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा
- टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- ठठ) 14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/131, द्वारा
- डड) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ढढ) 23 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/149, द्वारा
- णण) 19 सितम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/151, द्वारा
- तत) 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/155, द्वारा
- थथ) 20 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158, द्वारा
- दद) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161, द्वारा

धध) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/177, द्वारा

नन) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/189, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th December, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/218.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that sub-regulations VI and XX of regulation 3 of these regulations shall come into force with effect from December 31, 2024.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –

- I. in regulation 2, in sub-regulation (1),

- i. clause (k) shall be omitted;

- ii. in clause (zc), in the first proviso,

- a) in clause (b) the words “by the listed entity” appearing after the words “the following corporate actions” and before the words “which are uniformly applicable” shall be omitted;

- b) after clause (c), the following new clauses shall be inserted, namely,-

“(d) acceptance of current account deposits and saving account deposits by banks in compliance with the directions issued by the Reserve Bank of India or any other central bank in the relevant jurisdiction from time to time:

Explanation: For the purpose of clauses (c) and (d) above, acceptance of deposits includes payment of interest thereon.

(e) retail purchases from any listed entity or its subsidiary by its directors or its employees, without establishing a business relationship and at the terms which are uniformly applicable/offered to all employees and directors:”

- iii. the existing clause (zf) shall be substituted with the following clause, namely,-

“(zf) “securities laws” means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 and the rules and regulations made thereunder and the general or special orders, guidelines or circulars made or issued by the Board thereunder and the provisions of the Companies Act, 2013 or any previous company law and any subordinate legislation framed thereunder, which are administered by the Board;”

- iv. after clause (zl), the following new clause (zla) shall be inserted, namely,-

“(zla) “SR equity shares” means the equity shares of a listed entity having superior voting rights compared to all other equity shares issued by that listed entity;”
- II. in regulation 5,
 - i. the symbol “.” appearing after the words “under these regulations” shall be substituted with the symbol “:”;
 - ii. after the existing regulation, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that the key managerial personnel, directors, promoter, promoter group or any other person dealing with the listed entity shall disclose to the listed entity all information that is relevant and necessary for the listed entity to ensure compliance with the applicable laws.”
- III. in regulation 6,
 - i. in sub-regulation (1), the symbol “.” appearing after the words “as the compliance officer” shall be substituted with the symbol “:”;
 - ii. after the existing sub-regulation (1) the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that the Compliance Officer shall be an officer, who is in whole time employment of the listed entity, not more than one level below the board of directors and shall be designated as a Key Managerial Personnel.”
 - iii. after sub-regulation (1A) and the proviso thereto, the following new-sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(1B) Any vacancy in the office of the Compliance Officer of such listed entity in respect of which a resolution plan under section 31 of the Insolvency Code has been approved, shall be filled within a period of three months of such approval:

Provided that, in the interim, such listed entity shall have not less than one full-time key managerial personnel managing its day-to-day affairs.”
- IV. in regulation 7, sub-regulation (3) shall be omitted;
- V. in regulation 10, after sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(1A) The Board may enable integrated filing of periodic reports, statements, documents and any other information required to be filed by a listed entity under the Act or the regulations made thereunder in the format and within the timelines as may be specified.”
- VI. in regulation 13, sub-regulation (3), shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

“(3) The listed entity shall file with the recognised stock exchange(s) on a quarterly basis a statement detailing the redressal of investor grievances in such form and within the timelines as may be specified by the Board.”
- VII. in regulation 15,
 - i. in sub-regulation (2),
 - a) after the numerals and symbol “26,” and before the numerals “27”, the numerals, letter and symbol “26A,” shall be inserted;
 - b) in clause (a), in the second proviso,
 - I) the words “above regulations” shall be substituted with the words, numerals and symbols “corporate governance provisions as specified in regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) and (t) of sub-regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V”;
 - II) the words “or” appearing after the words “equity share capital” and before the words and symbol “the net-worth of such entity”, shall be substituted with the word “and”
 - ii. in sub-regulation (2A),
 - a) in the existing proviso, the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;

- b) after the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided further that such listed entity shall ensure compliance with regulation 17 within a period of three months of approval of resolution plan under section 31 of the Insolvency Code.”

- iii. in sub-regulation (2B),

- c) in the existing proviso, the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;

- d) after the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided further that such listed entity shall ensure compliance with regulations 18, 19, 20 and 21 within a period of three months of approval of resolution plan under section 31 of the Insolvency Code.”

- VIII. in regulation 16, in sub-regulation (1),

- i. in clause (c), the word “income” wherever appearing shall be substituted by the word “turnover”;
- ii. in clause (d) the words “Company Secretary and the Chief Financial Officer” shall be substituted by the words and symbols “persons identified and designated as key managerial personnel, other than the board of directors, by the listed entity”;

- IX. in regulation 17,

- i. in sub-regulation (1A),

- a) the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;

- b) after the existing sub-regulation (1A), the following new proviso shall be inserted, namely,-

“ Provided that the listed entity shall ensure compliance with this sub-regulation at the time of appointment or re-appointment or any time prior to the non-executive director attaining the age of seventy- five years.”

- ii. the existing sub-regulation (1C) and the provisos thereto shall be substituted by the following sub-regulation, namely,-

“(1C). (a) The listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the board of directors or as a manager is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier:

Provided that if such appointment or re-appointment of a person to the board of directors or as a manager is subject to approval of regulatory, government or statutory authorities, then the time taken to receive such approvals shall be excluded for the purposes of this clause:

Provided further that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the board of directors or as a Manager is taken at the next general meeting:

Provided further that the requirements specified in this clause shall not be applicable to appointment or re-appointment of a person nominated by a financial sector regulator, Court or Tribunal to the board of the listed entity.

(b) The appointment or a re-appointment of a person, including as a managing director or a whole-time director or a manager, who was earlier rejected by the shareholders at a general meeting, shall be done only with the prior approval of the shareholders:

Provided that the statement referred to under sub-section (1) of section 102 of the Companies Act, 2013, annexed to the notice to the shareholders, for considering the appointment or re-appointment of such a person earlier rejected by the shareholders shall contain a detailed explanation and justification by the Nomination and Remuneration Committee and the board of directors for recommending such a person for appointment or re-appointment.”

- iii. in sub-regulation (1D), in the second, third and fourth provisos, the word “regulation” appearing after the words “specified in this” and before the words “shall not be applicable”, shall be substituted with the words and symbol “sub-regulation”;

- iv. in sub-regulation (1E),
 - a) after the words “from the date” and before the words “such vacancy”, the word “of” shall be inserted;
 - b) in the existing first proviso,
 1. after the word “provided” and before the word “that”, the words “further” shall be inserted;
 2. after the words and symbols “under sub-regulation (1) of this regulation,” and before the words “due to expiration of the term of office”, the words and symbols “sub-regulation (1) of regulation 18, sub-regulation (1) or (2) of regulation 19, sub-regulation (2) or (2A) of regulation 20 or sub-regulation (2) or (3) of regulation 21,” shall be inserted;
 - c) before the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that if the vacancy in the office of a director results in non-compliance with the provisions of sub-regulation (1) of regulation 18, sub-regulation (1) or (2) of regulation 19, sub-regulation (2) or (2A) of regulation 20 or sub-regulation (2) or (3) of regulation 21, the listed entity shall ensure compliance at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:”
 - d) in the existing second proviso, after the words and symbols “under sub-regulation (1) of this regulation,” and before the words “without filling the vacancy”, the words and symbols “sub-regulation (1) of regulation 18, sub-regulation (1) and (2) of regulation 19, sub-regulation (2) and (2A) of regulation 20 and sub-regulation (2) and (3) of regulation 21” shall be inserted;
 - v. in sub-regulation (2),
 - a) after the words “four times a” and before the words and symbols “year, with a”, the word “financial” shall be inserted;
 - b) after the words “between any two” and before the word and symbol “meetings.”, the word “consecutive” shall be inserted;
 - vi. in sub-regulation (6), in clause (ca), after the words “shall be obtained every” and before the words and symbol “year, in which the”, the word “financial” shall be inserted;
 - vii. in sub-regulation (11), after the words “board to the shareholders” and before the words “on each of the specific items”, the words “along with the rationale” shall be inserted;
- X. in regulation 18, in sub-regulation (2), in clause (a),
 - a) after the words “four times in a” and before the words “year and not more than”, the word “financial” shall be inserted;
 - b) after the words “shall elapse between two” and before the word and symbol “meetings.”, the word “consecutive” shall be inserted;
 - XI. in regulation 19, in sub-regulation (3A), after the words “once in a” and before the word and symbol “year.”, the word “financial” shall be inserted;
 - XII. in regulation 20, in sub-regulation (3A), after the words “once in a” and before the word and symbol “year.”, the word “financial” shall be inserted;
 - XIII. in regulation 21, in sub-regulation (3A), after the words “twice in a” and before the word and symbol “year.”, the word “financial” shall be inserted;
 - XIV. in regulation 23,
 - i. in sub-regulation (2), in the second proviso, after clause (d) and the Explanation thereto, the following new clauses and the proviso shall be inserted:

“(e) remuneration and sitting fees paid by the listed entity or its subsidiary to its director, key managerial personnel or senior management, except who is part of promoter or promoter group, shall not require approval of the audit committee provided that the same is not material in terms of the provisions of sub-regulation (1) of this regulation.

(f) The members of the audit committee, who are independent directors, may ratify related party transactions within three months from the date of the transaction or in the immediate next meeting of the audit committee, whichever is earlier, subject to the following conditions:

- (i) the value of the ratified transaction(s) with a related party, whether entered into individually or taken together, during a financial year shall not exceed rupees one crore;
- (ii) the transaction is not material in terms of the provisions of sub-regulation (1) of this regulation;
- (iii) rationale for inability to seek prior approval for the transaction shall be placed before the audit committee at the time of seeking ratification;
- (iv) the details of ratification shall be disclosed along with the disclosures of related party transactions in terms of the provisions of sub-regulation (9) of this regulation;
- (v) any other condition as specified by the audit committee:

Provided that failure to seek ratification of the audit committee shall render the transaction voidable at the option of the audit committee and if the transaction is with a related party to any director, or is authorised by any other director, the director(s) concerned shall indemnify the listed entity against any loss incurred by it.”

ii. in sub-regulation (3),

- a) after the words “by the listed entity” and before the words “subject to the following”, the words “or its subsidiary” shall be inserted;
- b) in clause (a), the words “of the listed entity” appearing after the words “related party transactions” and before the words “and such approval shall” shall be omitted;
- c) in clause (d), after the words “by the listed entity” and before the words “pursuant to each”, the words “or its subsidiary” shall be inserted;

iii. in sub-regulation (5),

- a) in clause (a), the word “government” shall be substituted with the words “public sector”;
- b) after the existing clause (c), the following new clauses shall be inserted, namely,-
 “(d) transactions which are in the nature of payment of statutory dues, statutory fees or statutory charges entered into between an entity on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.
 (e) transactions entered into between a public sector company on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.”
- c) the Explanation shall be omitted;

iv. in sub-regulation (9),

- a) in the existing third proviso, the symbol “.” appearing after the words, symbol and numerals “with effect from April 1, 2023” shall be substituted with the symbol “:”;
- b) after the existing third proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-
 “Provided further that the remuneration and sitting fees paid by the listed entity or its subsidiary to its director, key managerial personnel or senior management, except who is part of promoter or promoter group, shall not require disclosure under this sub-regulation provided that the same is not material in terms of the provisions of sub-regulation (1) of this regulation.”

XV. in regulation 24,

- i. in sub-regulation (1), in the Explanation, the word “income” wherever appearing shall be substituted with the word “turnover”;
- ii. in sub-regulation (6), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;
- iii. after sub-regulation (6), the following non-obstante clause shall be inserted, namely,-
 “Nothing contained in this sub-regulation shall be applicable if such sale, disposal or lease of assets is between two wholly-owned subsidiaries of the listed entity.”

XVI. In regulation 24A,

- i. the existing sub-regulation (1) shall be substituted by the following sub-regulation, namely,-

“(1) (a) Every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and shall annex a Secretarial Audit Report in such form as specified, with the annual report of the listed entity.

Explanation:

(i) “Secretarial Auditor” means a Company Secretary in Practice or a firm of Company Secretary(ies) in practice appointed to conduct the Secretarial Audit.

(ii) “Peer Reviewed Company Secretary” means a Company Secretary in practice, who is either practicing individually or as a sole proprietor or as a partner of a Peer Reviewed Practice Unit, holding a valid certificate of peer review issued by the Institute of Company Secretaries of India.

(b) On the basis of recommendation of board of directors, a listed entity shall appoint or re-appoint:

(i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or

(ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years,

with the approval of its shareholders in its Annual General Meeting:

Provided that-

(i) an individual Secretarial Auditor who has completed his or her term under sub-clause (i) of this clause shall not be eligible for re-appointment as Secretarial Auditor in the same entity for five years from the completion of his or her term;

(ii) a Secretarial Audit firm which has completed its term under sub-clause (ii) of this clause, shall not be eligible for re-appointment as Secretarial Auditor in the same entity for five years from the completion of such term:

Provided further that as on the date of appointment no Secretarial Audit firm having a common partner or partners to the other Secretarial Audit firm, whose tenure has expired in the listed entity immediately preceding the financial year, shall be appointed as Secretarial Auditor of the same listed entity for a period of five years:

Provided further that, nothing contained in these regulations shall prejudice the right of the entity to remove Secretarial Auditor with the approval of its shareholders in its Annual General Meeting or the right of the Secretarial Auditor to resign from such office of the listed entity.

(c) The casual vacancy arising out of resignation, death or disqualification of a Secretarial Auditor shall be filled by the board of directors of the listed entity within a period of three months and the secretarial auditor so appointed shall hold office till the conclusion of the next annual general meeting.”

- ii. after sub-regulation (1), the following new sub-regulations shall be inserted, namely,-

“(1A) Eligibility, Qualifications and Disqualifications of Secretarial Auditor:

(a) A person shall be eligible for appointment as a Secretarial Auditor of the listed entity only if such person is a Peer Reviewed Company Secretary and has not incurred any of the disqualifications as specified by the Board:

Provided that a firm whereof majority of partners practising in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name to be Secretarial Auditor of the listed entity.

(b) Where a firm including a limited liability partnership is appointed as Secretarial Auditor of the listed entity, only the partners who are Peer Reviewed Company Secretaries shall be authorised to act and sign on behalf of the firm.

(c) Where a person appointed as Secretarial Auditor of the listed entity incurs any of the disqualifications as specified by the Board, after appointment, such person shall vacate the office as Secretarial Auditor and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of the Secretarial Auditor.

(1B) Secretarial Auditor not to render certain services:

A Secretarial Auditor appointed under these regulations shall provide to the listed entity only such other services as are approved by the board of directors, but which shall not include any services as specified by the Board in this behalf.

(1C) With effect from April 1, 2025, every listed entity shall ensure compliance with sub-regulation (1), (1A) and (1B) for appointment, re-appointment or continuation of the Secretarial Auditor of the listed entity:

Provided that any association of the individual or the firm as the Secretarial Auditor of the listed entity before March 31, 2025 shall not be considered for the purpose of calculating the tenure under clause (b) of sub-regulation (1)."

iii. in sub-regulation (2),

a) the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;

b) after sub-regulation (2), the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that the listed entity shall ensure that with effect from April 1, 2025, the Secretarial Compliance Report submitted to the stock exchange(s) on annual basis is signed only by the Secretarial Auditor or by a Peer Reviewed Company Secretary who satisfies the conditions mentioned in sub-regulations (1A) and (1B) of this regulation.”

XVII. in regulation 25, sub-regulation (6) and the proviso thereto shall be omitted;

XVIII. in regulation 26, in sub-regulation (6),

i. the existing first proviso shall be substituted with the following proviso, namely,-

“Provided that all interested persons involved in the transaction covered under the agreement shall abstain from voting in the general meeting;”

ii. in the existing second proviso,

a) the words and symbols “subsisting agreement, if any, as on the date of coming into force of this sub-regulation” shall be substituted with the words “any such subsisting agreement that continues subsequent to the listing”;

b) the words “in the forthcoming Board meeting” shall be omitted;

iii. in the existing third proviso, the words “forthcoming general meeting” shall be substituted with the words “first general meeting held after listing and all interested persons involved in the transaction covered under the agreement shall abstain from voting in the general meeting”;

iv. the existing fourth proviso shall be omitted;

XIX. in regulation 26A, after the existing sub-regulation (2) and the provisos thereto, the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(3) Any vacancy in the office of Chief Executive Officer, Managing Director, Whole Time Director or Manager or Chief Financial Officer of such listed entity in respect of which a resolution plan under section 31 of the Insolvency Code has been approved, shall be filled within a period of three months of such approval:

Provided that, in the interim, such listed entity shall have not less than one full-time key managerial personnel managing its day-to-day affairs.”

XX. in regulation 27, in sub-regulation (2),

i. the existing clause (a), shall be substituted with the following clause, namely,-

“(a) The listed entity shall submit, to the recognised stock exchange(s), a quarterly compliance report on corporate governance in the format and within the timelines, as may be specified by the Board from time to time.”

ii. clause (b) shall be omitted;

XXI. in regulation 30, in sub-regulation (6),

i. in clause (i), the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”;

- ii. after clause (i), the following new provisos shall be inserted, namely,-

“Provided that in case the meeting of the board of directors closes after normal trading hours of that day but more than three hours before the beginning of the normal trading hours of the next trading day, the listed entity shall disclose the decision pertaining to the event or information, within three hours from the closure of the board meeting;

Provided further that in case the meeting of the board of directors is being held for more than one day, the financial results shall be disclosed within thirty minutes or three hours, as applicable, from closure of such meeting for the day on which it has been considered.”
- iii. after clause (iii), in the existing first proviso, after the word “Provided” and before the word “that”, the word “further” shall be inserted;
- iv. after clause (iii) and before the existing provisos, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that if all the relevant information, in respect of claims which are made against the listed entity under any litigation or dispute, other than tax litigation or dispute, in terms of sub-paragraph 8 of paragraph B of Part A of Schedule III, is maintained in the structured digital database of the listed entity in terms of provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the disclosure with respect to such claims shall be made to the stock exchange(s) within seventy-two hours of receipt of the notice by the listed entity.”
- v. after clause (iii), after the provisos, the following new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation: Normal trading hours shall mean time period for which the recognized stock exchanges are open for trading for all investors.”

XXII. in regulation 30A, in sub-regulation (2), the word “complete” appearing after the words “webpage where the” and before the words “details of such” shall be omitted;

XXIII. in regulation 31A,

- i. sub-regulation (2) and the proviso thereto shall be omitted;
- ii. in sub-regulation (3),
 - a) the words “to public shall be permitted by the stock exchanges only upon satisfaction of” appearing after the words “status of a promoter” and before the words “the following conditions”, shall be substituted with the words and symbols “, including promoter group, shall be subject to”;
 - b) clause (a) shall be substituted by the following clause, namely,-

“(a) Fulfilment of the following requirements:

 - (i) the promoter(s) seeking reclassification shall make a request for reclassification to the listed entity along with a rationale for the request and a description as to how the conditions specified in clause (b) of this sub-regulation (3) are satisfied;
 - (ii) the board of directors of the listed entity shall analyze such request which is compliant with the conditions specified in clause (b) of sub-regulation (3) and provide their views in the immediate next board meeting or within two months from the date of receipt of the request from its promoter(s), whichever is earlier;
 - (iii) the listed entity shall submit an application seeking no-objection of the recognized stock exchange for such reclassification request along with the views of the board of directors within five days of consideration of the request by the board of directors;
 - (iv) the recognized stock exchange shall decide on such application(s) within a period of thirty days, excluding the time taken, if any, by the listed entity to respond to queries of stock exchanges, from the date of receipt of the application:

Provided further that in case of entities that are listed on more than one recognized stock exchange, the concerned stock exchanges shall jointly decide on the application.

(v) the listed entity shall place the reclassification request before the shareholders in a general meeting for approval, within sixty days of receipt of no-objection letter from the recognized stock exchange, along with the views of the board of directors on the request and the no-objection letter received from the recognized stock exchanges;

vi) the request of the promoter(s) seeking reclassification shall be approved in the general meeting by an ordinary resolution in which the promoter(s) seeking reclassification and the persons related to him/her/it shall not vote to approve such reclassification request:

Provided further that the provisions of this sub-clause shall not apply in cases:

(a) where the promoter(s) seeking reclassification and persons related to the promoter(s) seeking reclassification, together, do not hold more than one percent of the total voting rights in the listed entity;

(b) where reclassification is pursuant to a divorce.

vii) the listed entity shall notify the stock exchanges within five days of obtaining shareholder approval and effect the reclassification:

Provided that the listed entity shall seek approval of the recognized stock exchange for effecting reclassification if there are changes in the facts and circumstances of the case after receipt of no-objection from the recognized stock exchanges.”

iii. in sub-regulation (5),

- a) the words “be required to” appearing after the words “it shall” and before the words “make an open” shall be omitted;
- b) after the words and symbols “(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011” and before the symbol “.”, the words “and the intention to get reclassified as a promoter shall be disclosed in the letter of offer” shall be inserted;

iv. in sub-regulation (8),

- a) in clause (b), the word “minutes” shall be substituted by the word “outcome”;
- b) in clause (c),
 - i. after the words “submission of application” and before the words “for reclassification of status”, the words “seeking no-objection or approval of the recognized stock exchanges” shall be inserted;
 - ii. the word and symbol “promoter/” shall be omitted;
- c) after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(e) approval of shareholders on the request of the promoters seeking reclassification as public within the timelines specified in sub-regulation (3) of regulation 44.”

v. the existing sub-regulation (9) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

“(9) The provisions of sub-regulations (3), (4) and (8) of this regulation shall not apply if reclassification of promoter(s) is as per the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code or pursuant to an order of a Regulator under any law subject to the condition that –

- (a) such promoter(s) shall not remain in control of the listed entity;
- (b) disclosure of the resolution plan or order of the Regulator within twenty-four hours along with an intimation that such promoter(s) would cease to be part of the promoter / promoter group of the listed entity.”

vi. in sub-regulation (10),

- a) the words and symbols “clauses (a) and (b) of” shall be omitted;

- b) the symbol “:” appearing after the words “or scheme of arrangement” shall be substituted by the words and symbol “and subject to-”;
- c) before the existing proviso, the following new clauses shall be inserted, namely,-
 - “(i) compliance with clauses (b) and (c) of sub-regulation (3) of this regulation, and
 - (ii) disclosure of reclassification within twenty-four hours of completion of open offer or scheme of arrangement.”
- d) after the existing proviso, the following new Explanations shall be inserted, namely,-
 - “Explanation I: For the purpose of this sub-regulation, completion of open offer shall mean:
 - (i) the date of actual transfer of shares from the promoter seeking reclassification to the new acquirer, or
 - (ii) the date on which the new acquirer takes control of the listed entity, whichever is later.
 - Explanation II: For the purpose of this sub-regulation, completion of scheme of arrangement shall mean the date on which shares are credited to all eligible shareholders of the listed entity or the transferee entity or the resulting entity in terms of the approved scheme.”

XXIV. in regulation 33, in sub-regulation (3),

- i. in clause (a), the symbol “:” shall be substituted with the symbol “:”;
- ii. after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely,-
 - “Provided that such listed entity in respect of which a resolution plan under section 31 of the Insolvency Code has been approved, shall disclose its financial results within ninety days from the end of the quarter in which such resolution plan was approved, except in case such resolution plan has been approved in the last quarter of a financial year.”
- iii. in clause (d), in the existing first proviso, after the word “Provided” and before the word “that”, the word “further” shall be inserted;
- iv. in clause (d), before the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-
 - “Provided that a listed entity in respect of which a resolution plan under section 31 of the Insolvency Code has been approved during the last quarter of a financial year, shall disclose its annual audited financial results within 120 days from the end of such financial year.”

XXV. in regulation 34, in sub-regulation (1), in clause (a), the words “not later than the day of” shall be substituted with the words “on or before the”;

XXVI. in regulation 36,

- i. in sub-regulation (1),
 - a) in clause (b), the words, symbols and numerals “Hard copy of statement containing the salient features of all the documents, as prescribed in Section 136 of Companies Act, 2013 or rules made thereunder” shall be substituted with the words and symbols “A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available”;
 - b) in clause (c),
 - I) the word “copies” shall be substituted with the word “copy”;
 - II) the word “reports” shall be substituted with the word “report”;
- ii. sub-regulation (2) shall be omitted;
- iii. in sub-regulation (5),
 - a) after the words and symbols “statutory auditor(s)” and before the words and symbol “is/are proposed to be”, the words “or Secretarial Auditor” shall be inserted;

- b) in clause (a), after the words and symbols “statutory auditor(s)” and before the words “along with terms of appointment”, the words “or Secretarial Auditor” shall be inserted;
- c) in clause (b), after the words and symbols “statutory auditor(s)” and before the words “proposed to be appointed”, the words “or Secretarial Auditor” shall be inserted;

XXVII. in regulation 37, the existing sub-regulation (6) and the proviso thereto shall be substituted by the following sub-regulation and proviso, namely,-

“(6) Nothing contained in this regulation shall apply to draft schemes which-

- a) solely provide for merger of a wholly owned subsidiary with its holding company; or
- b) solely provide for writing off the accumulated losses against the share capital of the listed entity applied uniformly across all shareholders on a pro rata basis or against the reserves of the listed entity;

Provided that such draft schemes shall be filed with recognized stock exchanges for the purpose of disclosures.”

XXVIII. in regulation 39,

- i. in sub-regulation (2),
 - a) the word “certificates” appearing after the words “effect issuance of” and before the words “or receipts or advices”, shall be substituted with the words “letter of confirmation”;
 - b) the words “issuance of new certificates” appearing after the words “duplicates thereof or” and before the words “or receipts or advices”, shall be substituted with the words “letter of confirmation”;
- ii. sub-regulation (3) shall be omitted;

XXIX. in regulation 40, sub-regulations (2), (3), (6), (8), (9) and (10) shall be omitted;

XXX. in regulation 42,

- i. in sub-regulation (2),
 - a) the word “seven” shall be substituted with the word “three”;
 - b) in the proviso,
 - I) the words “rights issues” shall be substituted with the words and numerals “corporate actions through schemes of arrangement covered under regulation 37”;
 - II) the word “three” shall be substituted with the word “seven”;
- ii. sub-regulation (3) shall be omitted;
- iii. in sub-regulation (4), the word “thirty” shall be substituted with the words “five working”;
- iv. sub-regulation (5) and the proviso thereto shall be omitted;

XXXI. in regulation 44,

- i. in sub-regulation (4), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;
- ii. after sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that the requirement to send proxy forms shall not be applicable to general meetings held only through electronic mode.”

XXXII. in regulation 46, in sub-regulation (2),

- i. after clause (a), the following new clauses shall be inserted, namely,-
 - “(aa) Memorandum of Association and Articles of Association;
 - (ab) Brief profile of board of directors including directorship and full-time positions in body corporates;”
- ii. the existing provision in clause (o) shall be renumbered as sub-clause (i);
- iii. in the existing clause (o), the words and symbols “and presentations made by the listed entity to analysts or institutional investors.” shall be substituted by symbol “;”;

- iv. in clause (o), after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely,-
 - “(ii) Presentations prepared by the listed entity for analysts or institutional investors meet, post earnings or quarterly calls prior to beginning of such events.”
- v. the existing clause (oa) and the proviso thereto shall be substituted with the following clause (oa) and proviso, namely,-
 - “(oa) Audio recordings, video recordings, if any, and transcripts of post earnings or quarterly calls, by whatever name called, conducted physically or through digital means, in the following manner:
 - i. The audio recordings shall be promptly made available on the website and in any case, before the next trading day or within twenty-four hours from the conclusion of such calls, whichever is earlier;
 - ii. the video recordings, if any, shall be made available on the website within forty-eight hours from the conclusion of such calls;
 - iii. the transcripts of such calls shall be made available on the website along with simultaneous submission to recognized stock exchanges within five working days of the conclusion of such calls:

Provided that—

 - (a) The information under sub-clause (i) and (ii) of this clause shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of two years and thereafter as per the preservation policy of the listed entity in terms of clause (b) of regulation 9.
 - (b) The information under sub-clause (iii) of this clause shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of five years and preserved in accordance with clause (b) of regulation 9.”
- vi. in clause (z), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “;”;
- vii. after clause (z), the following new clause (za) and proviso shall be inserted, namely,-
 - “(za) Employee Benefit Scheme Documents, excluding commercial secrets and such other information that would affect competitive position of the listed entity, framed in terms of the provisions of Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021:

Provided that redaction of information under clause (za) above from the Employee Benefit Scheme document shall be approved by the board of directors of the listed entity and shall be in compliance with guidelines as may be specified by the Board:”
- viii. after clause (za), the following new proviso shall be inserted, namely,-
 - “Provided that for the purpose of compliance with this sub-regulation, the listed entity may provide the exact link to the webpage of each of the recognized stock exchanges where such information has already been made available by the listed entity.”

XXXIII. in regulation 47,

- i. the existing sub-regulation (1) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-
 - “(1) The listed entity shall publish an advertisement in the newspaper, within forty eight hours of conclusion of the meeting of board of directors at which the financial results were approved, containing a Quick Response code and the details of the webpage where complete financial results of the listed entity, as specified in regulation 33, along-with the modified opinion(s) or reservation(s), if any, expressed by the auditor, is accessible to the investors:

Nothing provided under this regulation shall preclude a listed entity from publishing, if it so chooses, the financial results in terms of regulation 33 along-with the modified opinion(s) or reservation(s), if any, expressed by the auditor in the newspaper as per the format specified within 48 hours of conclusion of the meeting of the board of directors at which the financial results were approved.”
- ii. sub-regulations (2) and (3) and the proviso thereto shall be omitted;

XXXIV. in regulation 50, after sub-regulation (3), the following sub-regulation (4) shall be inserted, namely, –

“(4) The disclosures to the stock exchanges shall be made by a listed entity in XBRL format in accordance with the guidelines specified by the stock exchanges from time to time.”

XXXV. in regulation 52, in sub-regulation (2),

i. clause (b) shall be substituted with the following, namely, –

“(b) The quarterly financial results submitted shall be approved by the board of directors.”

ii. after clause (b) and before clause (c), the following clause (ba) shall be inserted, namely, –

“(ba) The financial results submitted to the stock exchange shall be signed by the chairperson or managing director, or a whole time director or in the absence of all of them, it shall be signed by any other director of the listed entity who is duly authorized by the board of directors to sign the financial results.”

XXXVI. in regulation 60,

i. sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, –

“(1) The listed entity shall fix a record date as per sub-regulation (7) of regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.”

ii. in sub-regulation (2), the words “seven” shall be substituted with the word “three”;

XXXVII. in Schedule II, in Part E,

i. in Paragraph A,

a) the existing provision shall be re-numbered as sub-paragraph (i);

b) after sub-paragraph (i), the following new sub-paragraph shall be inserted, namely,-

“(ii) The listed entities ranked from 1001 to 2000 as per the list prepared by recognized stock exchanges in terms of sub-regulation (2) of regulation 3 shall endeavour to have atleast one woman independent director on its board of directors.”

ii. after Paragraph E, the following new paragraphs shall be inserted, namely,-

“F. Independent Directors

The independent directors of top 2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings.

G. Risk Management

Listed entities ranked from 1001 to 2000 in the list prepared by recognized stock exchanges in terms of sub-regulation (2) of regulation 3 may constitute a risk management committee with the composition, roles and responsibilities specified in regulation 21.”

XXXVIII. In Schedule III,

i. in Part A,

a) in paragraph A,

1. in sub-paragraph 1, in Explanation (1), in clause (ii),

I) in sub-clause (a), the word “five” shall be substituted with the word “twenty”;

II) in sub-clause (b), the word “two” shall be substituted by the word “five”;

III) in sub-clause (c), the symbol “.” appearing after the word and numerals “regulation 30” shall be substituted by the symbol “:”;

IV) after sub-clause (c), the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that acquisition of shares or voting rights aggregating to five percent or more of the shares or voting rights in an unlisted company

and any change in holding from the last disclosure made under this proviso exceeding two per cent of the total shareholding or voting rights in the said unlisted company shall be disclosed on a quarterly basis in the format as may be specified.”

2. in sub-paragraph 4,
 - I) the words and symbols “, within 30 minutes of the closure of the meeting,” shall be substituted with the words “the outcome of meetings of the board of directors”;
 - II) in clause a), the words and symbol “and/or cash bonuses” shall be omitted;
 - III) in clause d), after the words “proposed to be undertaken”, the words and symbols “including by way of issue of securities (excluding security receipts, securitized debt instruments or money market instruments regulated by the Reserve Bank of India), through further public offer, rights issue, American Depository Receipts/ Global Depository Receipts/ Foreign Currency Convertible Bonds, qualified institutions placement, debt issue, preferential issue or any other method;” shall be inserted;
 - IV) the proviso shall be omitted;
3. in sub-paragraph 6, after the existing Explanation 2, the following new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation 3 – Fraud by senior management, other than who is promoter, director or key managerial personnel, shall be required to be disclosed only if it is in relation to the listed entity.”
4. in sub-paragraph 15,
 - I) in clause (a),
 - a. the existing provision shall be renumbered as sub-clause (i);
 - b. the words and symbols “and presentations made by the listed entity to analysts or institutional investors.” shall be substituted by symbol “;”;
 - c. after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely,-

“(ii) Presentations prepared by the listed entity for analysts or institutional investors meet, post earnings or quarterly calls shall be disclosed to the recognized stock exchanges prior to beginning of such events.”
 - d. the existing Explanation shall be renumbered as Explanation I;
 - e. after the existing Explanation the following new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation II: Disclosure of names in the schedule of analysts or institutional investors meet shall be optional for the listed entity.”
 - II) the existing clause (b) shall be substituted with the following clause, namely,-

“(b) Audio recordings, video recordings, if any, and transcripts of post earnings or quarterly calls, by whatever name called, conducted physically or through digital means, in the following manner:

 - (i) The audio recordings shall be promptly made available on the website and in any case, before the next trading day or within twenty-four hours from the conclusion of such calls, whichever is earlier;

- (ii) the video recordings, if any, shall be made available on the website within forty-eight hours from the conclusion of such calls;
 - (iii) the transcripts of such calls shall be made available on the website along with simultaneous submission to recognized stock exchanges within five working days of the conclusion of such calls.”
- 5. in sub-paragraph 17, after clause b), the following new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation – For the purpose of this sub-paragraph, forensic audit refers to the audits, by whatever name called, which are initiated with the objective of detecting any mis-statement in financial statements, mis-appropriation, siphoning or diversion of funds and does not include audit of matters such as product quality control practices, manufacturing practices, recruitment practices, supply chain process including procurement or other similar matters that would not require any revision to the financial statements disclosed by the listed entity.”
- 6. in sub-paragraph 20,
 - I) the word and symbol “initiated,”, appearing after the words and symbols “pertaining to the actions(s)” and before the words “taken or orders passed” shall be omitted;
 - II) in clause ii, the symbol and word “, initiated”, appearing after the words and symbols “details of the action(s) taken” and before the words and symbols “or order(s) passed” shall be omitted;
 - III) after clause v, the following new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation – Imposition of fine or penalty shall be disclosed in the following manner along with the details pertaining to the action(s) taken or orders passed as mentioned in the sub-paragraph:

 - (i) disclosure of fine or penalty of rupees one lakh or more imposed by sectoral regulator or enforcement agency and fine or penalty of rupees ten lakhs or more imposed by other authority or judicial body shall be disclosed within twenty four hours.
 - (ii) disclosure of fine or penalty imposed which are lower than the monetary thresholds specified in the clause (i) above on a quarterly basis in the format as may be specified.”
- ii. in Part-B, in clause A, paragraph 17 shall be substituted with the following, namely, –

“(17) Fraud or defaults, in terms of paragraph 6 of clause A of Part-A of Schedule III, by a listed entity, its promoter, director, key managerial personnel, senior management or subsidiary or arrest of key managerial personnel, senior management, promoter or director of the listed entity, whether occurred within India or abroad;”
- iii. in Part C, in paragraph A, in sub-paragraph (3), in clause (a),
 - a) the words “and/or cash bonuses” appearing after the words “all dividends” and before the words “recommended or declared” shall be omitted;
 - b) the words “or cash bonus” appearing after the words “pass any dividend” and before the symbol “;” shall be omitted;
- XXXIX. in schedule V, paragraph C, sub-paragraph (9), clauses (e), (f) and (g) shall be omitted.

G. RAM MOHAN RAO, Executive Director

[ADV.T.-III/4/Ext.y./758/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
 - h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
 - i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
 - j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
 - k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
 - l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
 - m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
 - n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
 - o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
 - p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.

- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.
- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.
- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.
- gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.
- hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.
- ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.

- jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.
- kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- ll) June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.
- mm) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- nn) August 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149.
- oo) September 19, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151.
- pp) October 09, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/155.
- qq) October 20, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/158.
- rr) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/161.
- ss) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/177.
- tt) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/189.